

राजस्थान सरकार
स्वायत्तं शासन विभाग राज० जयपुर
क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी / 24 / 63

दिनांक: 18/12/2024

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) संपत्ति धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद बांरा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	नगर परिषद का नाम	नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या राजस्व ग्राम बमूलियां, राजस्व ग्राम सुन्दलक जिसकी जनसंख्या 841 है।
01.	बांरा	बांरा	

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव